

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 215/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
भारतीय स्टेट बैंक SMECC, जीवन निधि, एल आई सी बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

मैसर्स गर्ग एण्ड सन्स 34/एस-3, बेसमेन्ट प्रताप नगर, पावर हाउस के पास, टौक रोड, जयपुर।
प्रोपराईटर श्री रमाकान्त गर्ग पुत्र श्री घनश्याम गर्ग 79, रतुआ परीता, जिला करोली, एवं
25/एसटी/1/140, सतलज अपार्टमेन्ट, प्रताप नगर, जयपुर।

अप्रार्थी ऋणी

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act.2002.

उपस्थित:- बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 3-10-2019

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 27.06.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में चल सम्पत्ति 25/एसटी/1/140, सतलज अपार्टमेन्ट, प्रताप नगर, जयपुर स्थित (दृष्टि बन्धक भण्डार) को हाईपोथीकेटेड कर कुल 8,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.01.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथीकेटेड सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नहीं है। प्रार्थी बैंक के विभागीय प्रतिनिधि को भी सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
- प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.01.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है।



जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

4. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्राथी बैंक के पक्ष में हाईपोथीकेटेड चल सम्पत्ति 25/एसटी/1/140, सतलज अपार्टमेन्ट, प्रताप नगर, जयपुर स्थित दृष्टि बन्धक भण्डार का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 3-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(जगरूप सिंह यादव)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर